न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23/2017

प्रविष्टि दिनांक 13.02.2017

1—हेमा पुत्री कल्लो जाति कंजर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2—राहुल पुत्र हेमा जाति कंजर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3—जुवरान पुत्र हेमा जाति कंजर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट्स

वनाम

नायव तहसीलदार सोप जिला—टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजरथान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायव तहसीलदार सोप दिनांक 10.11.2016 मिसल नम्बर 612/2016

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायव तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 23.05.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2016 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1983 रकवा 0.01 है0 किस्म बारानी—1भूदान बोर्ड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा मे राजकीय भूमि पर मकान का निर्माण चालू कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 5000/रू पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायव तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलवी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभापक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को धारा 91 लै0रे0एक्ट के प्रावधानो के तहत तीनो को पृथक—पृथक नोटिस नही दिये और पृथक—पृथक निर्णय पारित नही किया वल्कि संयुक्त रूप से नोटिस देकर,इनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिकमी होने बावत कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट्स द्वारा कोई नया निर्माण नही किया गया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट्स के उक्त भूमि पर ... हुये है और इनके अलावा अन्य व्यक्तियो के भी मकान ... हुये है। अपीलांट्स गरीव,भूमिहीन,मजदूर पेशा व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

है,जिनके पास निवास करने का अन्य कोई मकान या स्थान नही है।अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1983 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी–1भूदान बोर्ड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान का निर्माण चालू कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। तहसीलदार उनियारा के आदेश कमांक 7164 दिनांक 20.10.2016 की पालना मे अतिक्रमी को भू.अ.निरीक्षक सोप द्वारा व पटवारी हल्का सोप द्वारा दिंनाक 20.10.2016 द्वारा पाबंद करने के उपरान्त भी अपीलांट्स द्वारा मकान का निर्माण कार्य चालू कर लिया है।अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से इनकार करने पर दो गवाहो के सामने मकान पर चस्पा किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1983 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी–1 भूदान बोर्ड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कार्य चालू कर रखा है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध है। तहसीलदार उनियारा के आदेश कमांक 7164 दिनांक 20.10.2016 की पालना मे अतिक्रमी को भू.अ.निरीक्षक सोप एंव पटवारी हल्का सोप द्वारा दिंनाक 20.10.2016 को पाबंद करने के उपरान्त भी अपीलांट्स द्वारा मकान का निर्माण कार्य बंद नही किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नही चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 10.11.2016 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते